2nd amendment.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 59] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 6, 2012/फाल्गुन 16, 1933
No. 59] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 6, 2012/PHALGUNA 16, 1933

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च , 2012

फा. सं. एल-1(1)/2011-सीईआरसी.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 79 (1) (ग) के साथ पठित धारा 178 के अधीन प्रदत शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अननुसूचित विनिमय प्रभार तथा संबंधित विषय) विनियम, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया), का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ—

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अननुसूचित विनिमय प्रभार तथा संबंधित विषय) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2012 है ।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. मूल विनियम के विनियम 5 का संशोधन.—

मूल विनियम 5 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"5. अननुसूचित विनियम (यूआई) प्रभार :

(1) सभी समय ब्लाकों के लिए अननुसूचित विनिमय प्रभार क्रेता या फायदग्राहियों द्वारा अधिक निकासी तथा उत्पादन केन्द्र या विक्रेता द्वारा कम अंत:क्षेपण इंजेक्शन तथा क्रेता या फायदाग्राही द्वारा कम निकासी के लिए प्राप्य तथा उत्पादन केन्द्र या विक्रेता द्वारा अधिक अंत:क्षेपण के लिए संदेय होंगे तथा इस विनियम के खंड (2) में विनिर्दिष्ट पद्धति के अनुसार इन विनियमों की अनुसूची "क" में विनिर्दिष्ट दरों पर समय ब्लाक की औसत फ्रिक्वेंसी पर तय किए जाएंगे ;

परंतु यह कि ईंधन के रूप में कोयला या लिग्नाइट या प्रशासित कीमत तंत्र (एपीएम) का उपयोग करने वाले उत्पादन केन्द्रों के लिए अननुसूचित विनिमय प्रभार, जब वास्तविक उत्पादन अननुसूचित उत्पादन से उच्चतर या कम हो, इस विनियम के खंड (3) में विनिर्दिष्ट पद्धति के अनुसार इन विनियमों की अनुसूची "क" में यथा विनिर्दिष्ट कैप दर से अधिक नहीं होंगे :

परंतु यह और कि हाइड्रो उत्पादन केन्द्र से भिन्न ऐसे उत्पादन केन्द्र, जिनकी समय-ब्लाक में स्टेशन की घोषित क्षमता के 105% से अधिक या संपूर्ण दिन की औसत घोषित क्षमता के 101% से अधिक है, द्वारा अंतःक्षेपण के लिए अननुसूचित विनिमय हेतु प्रभार इन विनियमों की अनुसूची क में यथाविनिर्दिष्ट कैप दर से अधिक नहीं होंगेः

परंतु यह भी कि ऐसे विक्रेता या फायदाग्राही जो एक समय ब्लाक में अनुसूची के 10% से अधिक या 250 मेगावाट जो भी कम हो, द्वारा कम निकासी के लिए अननुसूचित विनिमय प्रभार इस विनिमय के खंड (4) में विनिर्दिष्ट पद्धति के अनुसार इन विनियमों की अनुसूची "क" में यथाविनिर्दिष्ट कैप दर से अधिक नहीं होंगेः

परंतु यह भी कि किसी समय ब्लाक में केन्द्र की संस्थापित क्षमता के 105% या संपूर्ण दिन की संस्थापित क्षमता के 101% के तत्स्थानी एम्स-बस उत्पादन की सीमा के अधीन रहते हुए, अनुसूची के 120% से अधिक क्रेता द्वारा अंतःक्षेपण के लिए अननुसूचित विनिमय प्रभार इस विनियम के खंड (5) में विनिर्दिष्ट पद्धति के अनुसार, इस विनियमों की अनुसूची क में यथा विनिर्दिष्ट कैप दर से अधिक नहीं होंगेः

परंतु यह भी कि किसी समय ब्लाक में केन्द्र की संस्थापित क्षमता के 105% या संपूर्ण दिन की संस्थापित क्षमता के 101% के तत्स्थानी एक्स-बस उत्पादन से अधिक विक्रेता द्वारा अतःक्षेपण के लिए अननुसूचित विनिमय प्रभार इन विनियमों की अनुसूची "क" में यथाविनिर्दिष्ट कैप दर से अधिक होंगे ।

(2) अननुसूचित विनिमय प्रभार का अवधारण निम्नलिखित पद्धति के अनुसार किया जाएगाः

(क) 50.2 एचजेड और उससे ऊपर की ग्रिड फ्रिक्वेंसी पर अननुसूचित विनिमय प्रभार शून्य होगा ।

(ख) '50.02 एचजेड से निम्न' और '50.5 एचजेड से अन्यून' की ग्रिड फ्रिक्वेंसी अंतराल के तत्स्थानी अननुसूचित विनिमय प्रभार अगस्त 2010 से जनवरी 2011 की छह मास की अवधि के लिए कोयला/लिग्नाइट आधारित उत्पादन केन्द्रों के औसत ऊर्जा प्रभार के मध्य मूल्य के आधार पर होंगे तथा यू-आई कीमत विक्टर पर विनिश्चित करने के लिए समुचित रूप से उनका समायोजन किया जाएगा ।

(ग) यूआई कीमत विक्टर तद्नुसार, 50.2 एचजेड तथा 50.02 एचजेड से निम्न और 50.0 एचजेड से अन्यून के बीच 0.02 एचजेड के फ्रिक्वेंसी अंतराल के लिए स्टेप में होगा ।

(घ) 49.82 एचजेड से निम्न तथा 49.80 एचजेड से अन्यून की ग्रिड फ्रिक्वेंसी अंतराल में अननुसूचित विनिमय प्रभार ऐसे होंगे जो कोयला, जिसमें आयातित कोयला भी है, आधारित उत्पादन केन्द्र को नियत तथा ऊर्जा प्रभार को पूरा करने के पश्चात् ग्रिड की सहायता के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान करते हों।

(ङ) तदनुसार, यूआई कीमत विक्टर '50.02 एचजेड से निम्न तथा 50.0 एचजेड से अन्यून ' तथा "49.82 एचजेड से निम्न तथा 49.80 एचजेड से अन्यून " की ग्रिड फ्रिक्वेंसी अंतराल के बीच 0.02 के फ्रिक्वेंसी अंतराल के लिए स्टेप में होंगे।

(च) 49.50 एचजेड से निम्न ग्रिड फ्रिक्वेंसी पर अननुसूचित विनिमय के लिए प्रभार अगस्त 2010 से जनवरी 2011 की छह मास की अवधि के लिए उत्पादन केन्द्रों के औसत उच्चतर ऊर्जा प्रभारों के आधार पर होंगे तथा उनका यूआई कीमत विक्टर पर विनिश्चय करने के लिए पर्याप्त रूप से समायोजन किया जाएगा।

(छ) तदनुसार, यूआई कीमत विक्टर '49.82 एचजेड से निम्न तथा 49.80 एचजेड से अन्यून' तथा 49.5 एचजेड से निम्न के ग्रिड फ्रिक्वेंसी अंतराल के बीच 0.02 के फ्रिक्वेंसी अंतराल के लिए स्टेप्स में होगा।

(ज) यूआई कीमत विक्टर 50.2 एचजेड से अन्यून, 50.02 एचजेड से निम्न तथा 50.0 एचजेड से अन्यून, 49.82 एचजेड से निम्न तथा 49.80 एचजेड से अन्यून तथा 49.50 एचजेड से निम्न के ग्रिड फ्रिक्वेंसी अंतराल में अननुसूचित विनिमय के लिए प्रभार के तत्संथानी 50.2 एचजेड से 49.70 एचजेड के बीच 0.02 के फ्रिक्वेंसी अंतराल के लिए स्टेप्स में होगा।

(3) ईंधन के रूप में कोयला या लिग्नाइट या प्रशासित कीमत तंत्र (एपीएम) के अधीन प्रदाय की गई गैस का उपयोग करने वाले उत्पादन केन्द्रों के लिए अननुसूचित विनिमय के प्रभार की कैप दर इन विनियमों की अनुसूची क में यथा विनिर्दिष्ट होगी।

(4) अनुसूची का 10% या 250 मेगावाट, जो भी कम हो, से अधिक, में विक्रेता या फायदाग्राहियों द्वारा कम निकासी के लिए अननुसूचित विनिमय की कैप दर, वैसी होगी जो इन विनियमों की अनुसूची "क" में यथा विनिर्दिष्ट '49.82 एचजेड से निम्न' तथा 49.80 एचजेड से अन्यून के ग्रिड फ्रिक्वेंसी अंतराल के तत्स्थानी अननुसूचित विनिमय के प्रभारों के लिए है।

(5) किसी समय ब्लाक में केन्द्र की संस्थापित क्षमता के 105% या संपूर्ण दिन की संस्थापित क्षमता के 101% के तत्स्थानी एक्स-बस उत्पादन की सीमा के अधीन रहते हुए, अनुसूची के 120% से अधिक में क्रेता द्वारा अंतःक्षेपण के लिए अननुसूचित विनिमय की कैप दर वही होगी जो इन विनियमों की अनुसूची "क" में यथा

विनिर्दिष्ट '49.82 एचजेड से निम्न तथा 49.80 एचजेड से अन्यून' के ग्रिड फ्रिक्वेंसी अंतराल के तत्स्थानी अननुसूचित विनिमय के प्रभारों के लिए है।

(6) आयोग द्वारा प्रत्येक छ मास में अननुसूचित विनिमय प्रभारों का पुनर्विलोकन किया जाएगा तथा उन्हें पुनः अधिसूचित किया जाएगा तथा इन विनियमों की अनुसूची "क" तदनुसार, पुनः अधिसूचित की जाएगी।

(7) यूनिट की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से पूर्व, परीक्षण के दौरान, किसी उत्पादन केन्द्र की उत्पादन यूनिट द्वारा ग्रिड में अंतःक्षेपित इंफर्म ऊर्जा का संदाय इस विनियम की अनूसूची क में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे उत्पादन के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन की तत्स्थानी कैप दरों की उच्चतम सीमा के अधीन रहते हुए, समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में संयोजकता, दीर्घ-कालिक पहुंच तथा मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना तथा सहबद्ध विषय) विनियम, 2009 में आयोग द्वारा अनुज्ञात 6 मास से अनधिक अवधि के लिए या विस्तारित समय के लिए परीक्षण के परिणामस्वरूप, ग्रिड में अंतःक्षेपित ऊर्जा के लिए यूआई दरों पर किया जाएगा।

(8) दो अतुल्यकालिक क्षेत्रों के बीच अंतर-प्रादेशिक यूआई के आदान-प्रदान के लिए प्रभारों की संगणना संबंधित प्रादेशिक ऊर्जा समिति द्वारा संबंधित क्षेत्र की फ्रिक्वेंसी के अनुसार यूआई दरों के आधार पर की जाएगी। अंतर-प्रादेशिक आदान-प्रदान के लिए तय की जाने वाली रकम ऐसे अंतर-परिवर्तन के रूप में दो क्षेत्रों के लिए संगणित यूआई प्रभारों की औसत में होगी।"

3. मूल विनियम के विनियम 7 का संशोधनः मूल विनियम के विनियम 7 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"7 यूआई मात्रा (वोल्यूम) की सीमाएं तथा सीमा लांघने के परिणाम

"(1) समय ब्लाक के दौरान किसी फायदाग्राही या क्रेता द्वारा विद्युत की अधिक निकासी उसकी अनुसूचित निकासी या 150 मेगावाट जो भी कम हो, के 12% जब फ्रिक्वेंसी '49.80 एचजेड' है तथा सभी समय ब्लाकों के लिए दैनिक कुल आधार 3%, जब फ्रिक्वेंसी '49.80 एचजेड' है, से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरणः इस खंड में विनिर्दिष्ट सीमाएं राज्य में सभी अंतःराज्यिक इकाईयों, जिसमें वितरण कंपनियां तथा अन्य अतःराज्यिक विक्रेता भी हैं, द्वारा संपूर्ण अधिक निकासी को लागू होगी तथा संबंधित राज्य की अंतर-राज्यिक सीमाओं को लागू होंगी।

(2) उत्पादन केन्द्र या विक्रेता द्वारा विद्युत का अंडर इंजेक्शन ऐसे उत्पादन केन्द्र या विक्रेता के अनुसूचित इंजेक्शन, जब फ्रिक्वेंसी 49.80 एचजेड से कम हो, के 12% तथा सभी समय ब्लाकों के लिए जब फ्रिक्वेंसी '49.80 एचजेड से कम' हो, दैनिक कुल आधार पर 3% से अधिक नहीं होगी।

(3) इन विनियमों के विनियम 5 के अधीन अनुबद्ध अननुसूचित विनिमय के अतिरिक्त, प्रत्येक समय ब्लाक के लिए, जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी 49.7 एचजेड से कम हो, विद्युत की अधिक निकासी या अंडर-इंजेक्शन के लिए इस विनियम के खंड (3क) में विनिर्दिष्ट पद्धति के अनुसार इन विनियमों की अनुसूची क में विनिर्दिष्ट दर पर अतिरिक्त अननुसूचित विनिमय प्रभार लागू होंगे:

परंतु यह कि उस समय-बलक, जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी '49.7 एचजेड से कम' हो, ईंधन के रूप में कोयला या लिग्राइट या प्रशासित कीमत तंत्र (एपीएम) के अधीन प्रदाय की गई गैस का उपयोग करने वाले उत्पादन केन्द्र द्वारा विद्युत के अंडर-इंजेक्शन के लिए अतिरिक्त अननुसूचित विनिमय प्रभार इस विनियम के खंड (3ख) में विनिर्दिष्ट पद्धति के अनुसार इन विनियमों की अनुसूची "क" में विनिर्दिष्ट दरों पर होंगे।

स्पष्टीकरण: अतिरिक्त अननुसूचित विनिमय प्रभार किसी एक क्षेत्र द्वारा किसी अन्य क्षेत्र से संपूर्ण रूप् से कुल अधिक निकासी, जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी '49.7 एचजेड से कम' हो, को लागू नही होंगे।

(4) प्रत्येक समय ब्लाक, जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी '49.7 एचजेड से कम' हो, के लिए विद्युत की अधिक निकासी और अडर-इंजेक्शन के लिए अतिरिक्त अननुसूचित विनिमय प्रभार ग्रिड अनुशासन के मद्दे क्रेता तथा फायदाग्राहियों और विक्रेता तथा उत्पादन केन्द्रों के स्वभाव पर सम्यक रूप से ध्यान रखते हुए '49.5 एचजेड से निम्न' ग्रिड फ्रिक्वेंसी में अननुसूचित विनिमय के प्रभारों के रूप् में आयोग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट होंगे:

परंतु यह कि आयोग अधिक निकासी और अंडर इंजेक्शन तथा 49.7 एचजेड से निम्न फ्रेक्वेंसी की विभिन्न रेजों के लिए अतिरिक्त अननुसूचित विनिमय प्रभारों हेतु विभिन्न दरें विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

(5) ईंधन के रूप में कोयले या लिग्राइट या प्रशासित कीमत तंत्र (एपीएम) के अधीन प्रदाय की गई गैस का उपयोग करने वाले उत्पादन केन्दों द्वारा, उस समय ब्लाक, जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी 49.7 एचजेड से कम हो, के दौरान विद्युत के अंडर-इंजेक्शन के लिए अतिरिक्त अननुसूचित विनिमय प्रभार ग्रिड अनुशासन के मद्दे उत्पादन केन्द्रों के स्वभाव पर सम्यक रूप से विचार करने के पश्चात कैप दर की प्रतिशतता के रूप में आयोग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट किए जाएंगे:

परंतु यह कि आयोग '49.7 एचजेड से निम्न' फ्रेक्वेंसी की विभिन्न रेंजों पर अंडर-इंजेक्शनों के लिए अतिरिक्त अननुसूचित विनिमय प्रभारों हेतु विभिन्न दरें विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

(6) विनियम 5 के अधीन अननुसूचित विनिमय प्रभारों तथा उपरोक्त विनियम 7(3) के अधीन अतिरिक्त अननुसूचित विनिमय प्रभारों का संदाय किसी ऐसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उदग्रहीत किए जाएंगे जो ऐसे प्रत्येक समय ब्लाक, जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी '49.80 एचजेड से कम' हो, के लिए इन विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट अधिक निकासी या कम उत्पादन की सीमाओं के अतिलघंन के लिए अधिनियम की धारा 142 के अधीन आयोग द्वारा समुचित समझे जाएं।

(7) आयोग, यदि आवश्यक समझे, समय-समय पर ऐसे प्रत्येक समय-ब्लाक, जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी '49.80 एचजेड से कम' हो, '49.7 एचजेड तक' हो, के दौरान विद्युत की अधिक निकासी या अंडर-इंजेक्शन के लिए अतिरिक्त अननुसूचित विनिमय प्रभार विहित कर सकेगा।

(8) विद्युत की अधिक निकासी/अंडर-इंजेक्शन तथा कम निकासी/अधिक इंजेक्शन के लिए प्रभारों की संगणना संबंधित प्रादेशिक ऊर्जा समिति द्वारा "प्रादेशिक ऊर्जा लेखाओं" को तैयार करने के लिए प्रयुक्त पद्धति के अनुसार की जाएगी।

(9) प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र, मासिक आधार पर, यूआई लेखाओं के अभिलेखों को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा जिसमें अधिक निकासी/कम उत्पादन की मात्रा तथा प्रत्येक फायदाग्राही या क्रेता के लिए संदत्त तथा ऐसे समय ब्लाक, जब फ्रिक्वेंसी 49.7 एचजेड थी तथा पृथक रूप से 49.80-49.7 एचजेड के बीच थी, के लिए प्रत्येक उत्पादन केन्द्र या विक्रेता के लिए प्राप्त यूआई प्रभारों की तत्स्थानी रकम विनिर्दिष्ट होंगे।

राजीव बंसल, सचिव

[विज्ञापन III/4/150/11/असा.]

टिप्पणी : मुख्य विनियम, 3 मार्च, 2009 को भारत के राजपत्र (असाधारण) में सं. 43 के भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित हुए थे और मुख्य विनियम में प्रथम संशोधन भारत के राजपत्र (असाधारण) में सं. 114 के भाग III, खण्ड 4 में दिनांक 28 अप्रैल, 2010 को प्रकाशित किया गया।

अनुसूची 'क'

1. **अननुसूचित विनिमय (यूआई) प्रभार**

विनियम 5 के खंड (1) के अनुसार, क्रेता या फायदाग्राही द्वारा अधिक निकासी तथा उत्पादन केन्द्र या विक्रेता द्वारा अंडर-इंजेक्शन के लिए संदेय और क्रेता या फायदाग्राही द्वारा कम निकासी और उत्पादन केन्द्र या विक्रेता द्वारा अधिक इंजेक्शन के लिए प्राप्य सभी समय-ब्लाकों के लिए अननुसूचित विनिमय हेतु प्रभारों को नीचे दी गई दरों पर समय-ब्लाक के औसत फ्रिक्वेंसी पर तय किया जाएगा।

समय ब्लाक की औसत फ्रिक्वेंसी (एचजेड)		यूआई दर
निम्नलिखित से नीचे	निम्नलिखित से अन्यून	(पैस प्रति केडब्ल्यूएच)
	50.20	0.00
50.20	50.18	16.50
50.18	50.16	33.00
50.16	50.14	49.50
50.14	50.12	66.00
50.12	50.10	82.50
50.10	50.08	99.00
50.08	50.06	115.50
50.06	50.04	132.00
50.04	50.02	148.50
50.02	50.00	165.00
50.00	49.98	193.50
49.98	49.96	222.00
49.96	49.94	250.50
49.94	49.92	279.00
49.92	49.90	307.50
49.90	49.88	336.00

49.88	49.86	364.50
49.86	49.84	393.00
49.84	49.82	421.50
49.82	49.80	450.00
49.80	49.78	478.13
49.78	49.76	506.25
49.76	49.74	534.38
49.74	49.72	562.50
49.72	49.70	590.63
49.70	49.68	618.75
49.68	49.66	646.88
49.66	49.64	675.00
49.64	49.62	703.13
49.62	49.60	731.25
49.60	49.58	759.38
49.58	49.56	787.50
49.56	49.54	815.63
49.54	49.52	843.75
49.52	49.50	871.88
49.50		900.00

(प्रत्येक् 0.02 स्टेप 50.2-50.00 एचजेड फ्रिक्वेंसी रेंज में 16.50 पैसे/केडब्ल्यूएच, 50 एचजेड से 49.8 एचजेड में 28.50 पैसे/केडब्ल्यूएच तथा 49.8 एचजेड से 49.5 एचजेड से रेंज से निम्न फ्रिक्वेंसी में 28.12 पैसे/ केडब्ल्यूएच के समकक्ष है।)

2. **अननुसूचित विनिमय कैप दरें:**

(क) विनियम 5 के खंड (1) तथा (3) के अनुसार, कोयले या लिग्राइट या ईंधन के रूप में प्रशासित कीमत तंत्र (एपीएम) के अधीन प्रदाय की गई गैस का उपयोग करने वाले सभी उत्पादन केन्द्रों के लिए यूआई कैप दर 421.50 पैस/केडब्लयूएच होगी यदि जब वास्तविक उत्पादन उन्नतर हो या अनुसूचित उत्पादन से कम हो।

(ख) विनियम 5 के खड (1) तथा (6) के अनुसार, अनुसूची के 10% से अधिक या 250 मेगावाट, जो भी कम हो, क्रेता या फायदाग्राहियों द्वारा कम निकासी के लिए यूआई कैप दर 450.00 पैसे/केडब्लयूएच होगी।

(ग) विनियम 5 के खंड (1) तथा (7) के अनुसार, किसी समय ब्लाक में केन्द्र की संस्थापित क्षमता के 105% तथा संपूर्ण दिन संस्थापित क्षमता के 101% की तत्स्थानी एक्स-बस उत्पादन की सीमाओं के अधीन रहते हुए, अनुसूची के 120% से अधिक में विक्रेता द्वारा इंजेक्शन के लिए यूआई कैप दर 450.00 पैसे /केडब्ल्यूएच होगी।

(घ) विनियम 5 के खंड (1) के अनुसार, किसी समय ब्लाक में केन्द्र की संस्थापित क्षमता के 105% के अधिक में या संपूर्ण दिन की औसत घोषित क्षमता के 110% के अधिक में हाइड्रो उत्पादन केन्द्र से भिन्न उत्पादन केन्द्र द्वारा इंजेक्शन के लिए यूआई कैप दर 165.00 पैसे/केडब्लयूएच होगी।

(ङ) विनियम 5 के खंड (1) के अनुसार, एक समय ब्लाक में केन्द्र की संस्थापित क्षमता के 105% या संपूर्ण दिन में संस्थापित क्षमता के 101% की तत्स्थानी एम्स-बस उत्पादन के अधिक में विक्रेता द्वारा अंतःक्षेपण के लिए यूआई कैप दर 165.00 पैसे केडब्ल्यूएच होगी जो इन विनियमों की अनुसूची "क" में यथाविनिर्दिष्ट कैप दर से अधिक नहीं होगी।

(च) विनियम 5 के खंड (7) के अनुसार, यनिट के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से पूर्व परीक्षण कमीशनिंग के दौरान उत्पादन केन्द्र की यूनिट द्वारा ग्रिड में अंतःक्षेपित इंफर्म ऊर्जा के लिए कैप दरे उत्पादन के लिए प्रयुक्त ईधन की तत्स्थानी निम्नानुसार होंगी:-

स्वदेशी कोयला/लिग्राइट/हाइड्रो (रूपए/केडब्लयूएच भेजी गई)	:	1.65
ईधन के रूप में एपीएम गैस (रूपए/केडब्लयूएच भेजी गई)	:	2.60
आयातित कोयला/आरएलएनजी (रूपए/केडब्लयूएच भेजी गई)	:	3.30
द्रव ईंधन (रूपए/केडब्लयूएच भेजी गई)	:	9.00

722 GI/12-3

3. अतिरिक्त अननुसूचित विनिमय प्रभार

(क) विनियम 7 के खंड (4) के अनुसार, प्रत्येक समय ब्लाक, जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी 49.7 एचजेड से कम हो तथा 49.5 एचजेड से अन्यून हो, के लिए विद्युत की अधिक निकासी के लिए अतिरिक्त अननुसूचित विनिमय प्रभार 49.5 एचजेड से निम्न की ग्रिड फ्रिक्वेंसी की तत्स्थानी अननुसूचित विनिमय प्रभार के 20% के समतुल्य होंगे । प्रत्येक समय ब्लाक, जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी " 49.7 एचजेड से कम हो, तथा 49.5 एचजेड से अन्यून हो के लिए अंडर-इंजेक्शन के लिए अतिरिक्त अननुसूचित विनिमय प्रभार "49.5 एचजेड से निम्न की तत्स्थानी ग्रिड फ्रिक्वेंसी के अननुसूचित विनिमय प्रभार के 20% के समकक्ष होंगे:

परंतु यह कि प्रत्येक समय ब्लाक जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी '49.5 एचजेड से कम' हो तथा '49.2 एचजेड तक' हो, के लिए विद्युत की अधिक निकासी के लिए अतिरिक्त अननुसूचित विनिमय दर '49.5 एचजेड से निम्न' ग्रिड फ्रिक्वेंसी की तत्स्थानी अननुसूचित विनिमय प्रभार 900.00 पैसे/केडब्लयूएच के 40% के समकक्ष होगी । प्रत्येक समय ब्लाक, जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी '49.5 एचजेड से निम्न' तथा '49.2 एचजेड तक' हो, के लिए विद्युत के अंडर-इंजेक्शन के लिए अतिरिक्त अननुसूचित विनिमय प्रभार '49.5 एचजेड से निम्न' की ग्रिड फ्रिक्वेंसी की तस्थानी 900.00 पैसे /केडब्लयूएच के अननुसूचित विनिमय प्रभार के 40% के समकक्ष होंगे ।

परंतु यह कि प्रत्येक समय-ब्लाक, जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी '49.2 एचजेड से निम्न' हो, के लिए विद्युत की अधिक निकासी के लिए अतिरिक्त अननुसूचित विनिमय प्रभार '49.5 एचजेड से निम्न' ग्रिड फ्रिक्वेंसी की तत्स्थानी 900.0 पैसे/केडब्लयूएच के अननुसूचित विनिमय दर के 100% के समकक्ष होंगे । प्रत्येक समय-ब्लाक, जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी 49.2 एचजेड से कम हो, के लिए विद्युत के अडर-इंजेक्शन के लिए अतिरिक्त अननुसूचित विनिमय प्रभार '49.5 एचजेड से निम्न' की ग्रिड फ्रिक्वेंसी की तत्स्थानी 900.0 पैसे/केडब्ल्यूएच के अननुसूचित विनियम प्रभार के 100% के समकक्ष होंगे:

(ख) विनियम 7 के खंड (4) के अनुसार, ईंधन के रूप में कोयला या लिग्नाइट या प्रशासित कीमत तंत्र के अधीन प्रदाय की गई गैस का उपयोग करने वाले उत्पादन केन्द्रों हेतु ऐसे समय-ब्लाक, जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी 49.7 एचजेड से कम हो तथा 49.5 एचजेड तक हो, के दौरान विद्युत के अंडर इंजेक्शन के लिए अतिरिक्त अननुसूचित विनिमय प्रभार 421.50 पैसे/केडब्लयूएच की यूआई कैप दर के 20% के समकक्ष होंगे:

परंतु यह कि ईंधन के रूप में कोयला या लिग्नाइट या प्रशासित कीमत तंत्र के अधीन प्रदाय की गई गैस का उपयोग करने वाले उत्पादन केन्द्रों के लिए उस समय ब्लाक, जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी '49.5 एचजेड से कम' हो, के दौरान विद्युत के अंडर इंजेक्शन के लिए अतिरिक्त अननुसूचित विनिमय प्रभार 421.50 पैसे/केडब्लयूएच की यूआई कैप दर के 40% के समकक्ष होंगे ।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th March, 2012

No. L-1(1)/2011-CERC.—In exercise of the powers conferred under Section 178 read with Section 79(1) (c) of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Unscheduled Interchange charges and related matters) Regulations, 2009 (hereinafter referred to as "the Principal Regulations"), namely :—

1. **Short title and commencement.-**

(1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Unscheduled Interchange charges and related matters) (Second Amendment) Regulations, 2012.

(2) These regulations shall come into force with effect from 2nd of April, 2012.

2. **Amendment of Regulation 5 of the Principal Regulations.-** Regulation 5 of the principal Regulations shall be substituted as under, namely.-

"5. **Unscheduled Interchange (UI) Charges:**

(1) The charges for the Unscheduled Interchanges for all the time-blocks shall be payable for over drawal by the buyer or the beneficiary and under-injection by the generating station or the seller and receivable for under-drawal by the buyer or the beneficiary and over-injection by the generating station or the seller and shall be worked out on the average frequency of a time-block at the rates specified in the Schedule 'A' of these regulations as per the methodology specified in clause (2) of this regulation:

Provided that the charges for the Unscheduled Interchange for the generating stations using coal or lignite or gas supplied under Administered Price Mechanism (APM) as the fuel, when actual generation is higher or lower than the scheduled generation, shall not exceed the Cap Rate as specified in the Schedule 'A' of these regulations as per the methodology specified in clause (3) of this regulation:

Provided further that the Charges for the Unscheduled Interchange for the injection by a generating station other than the hydro generating station in excess of 105% of the Declared Capacity of the station in a time block or in excess of 101% of the average Declared Capacity over a day shall not exceed the Cap Rate as specified in the Schedule 'A' of these regulations:

Provided also that the charges for the Unscheduled :rchange for the underdrawls by the buyer or the beneficiaries a time block in excess of 10% of the schedule or 250 MW ...ichever is less, shall not exceed the Cap Rate as specified in the Schedule 'A' of these regulations as per the methodology specified

in clause (4) of this regulation:

Provided also that the charges for the Unscheduled Interchange for the injection by the seller in excess of 120% of the schedule subject to a limit of ex-bus generation corresponding to 105% of the Installed Capacity of the station in a time block or 101% of the Installed Capacity over a day shall not exceed the Cap Rate as specified in the Schedule 'A' of these regulations as per the methodology specified in clause (5) of this regulation:

Provided also that the Charges for the Unscheduled Interchange for the injection by the seller in excess of ex-bus generation corresponding to 105% of the Installed Capacity of the station in a time block or 101% of the Installed Capacity over a day shall not exceed the Cap Rate as specified in the Schedule A of these regulations.

(2) The Charge for Unscheduled Interchange shall be determined in accordance with the following methodology:

(a)The Charge for Unscheduled Interchange shall be zero at grid frequency of 50.2 Hz and above.

(b)The Charge for Unscheduled Interchange corresponding to grid frequency interval of 'below 50.02 Hz and not below 50.0 Hz' shall be based on the median value of the average energy charge of coal/lignite based generating stations for the six months period of August 2010 to January 2011 and suitably adjusted upward to decide on the UI price vector.

(c) The UI Price Vector shall accordingly, be in steps for a

frequency interval of 0.02 Hz between 50.2 Hz and 'below 50.02 Hz and not below 50.0 Hz'.

(d) The Charge for Unscheduled Interchange in grid frequency interval of 'below 49.82 Hz and not below 49.80 Hz' shall be such that it provides sufficient incentive to the generating station based on coal including imported coal to support the grid after meeting fixed and energy charge.

(e) The UI Price Vector shall accordingly, be in steps for a frequency interval of 0.02 Hz between grid frequency interval of 'below 50.02 Hz and not below 50.0 Hz' and 'below 49.82 Hz and not below 49.80 Hz'.

(f) The Charge for Unscheduled Interchange at grid frequency "below 49.50 Hz" shall be based on the highest of the average energy charges of generating stations for the six months period of August 2010 to January 2011 and suitably adjusted upward to decide on the UI price vector.

(g) The UI Price Vector shall accordingly, be in steps for a frequency interval of 0.02 Hz between grid frequency interval of 'below 49.82 Hz and not below 49.80 Hz' and 'below 49.5 Hz'.

(h) The UI Price Vector shall be in steps for a frequency interval of 0.02 Hz between 50.2 Hz to 49.70 Hz corresponding to the Charge for Unscheduled Interchange in grid frequency intervals of 'not below 50.2 Hz', 'below 50.02 Hz and not below 50.0 Hz', 'below 49.82 Hz and not below 49.80 Hz' and "below 49.50 Hz".

(3) The Cap rate for the charges for the Unscheduled Interchange for the generating stations using coal or lignite or gas

supplied under Administered Price Mechanism (APM) as the fuel shall be as specified in Schedule "A" of these Regulations.

(4) The Cap Rate for the Unscheduled Interchange for the under drawls by the buyer or the beneficiaries in excess of 10% of the schedule or 250 MW, whichever is less, shall be the same as the charges for the Unscheduled Interchange corresponding to grid frequency interval of 'below 49.82 Hz and not below 49.80 Hz' as specified in Schedule "A" of these Regulations.

(5) The Cap Rate for the Unscheduled Interchange for the injection by the seller in excess of 120% of the schedule subject to a limit of ex-bus generation corresponding to 105% of the Installed Capacity of the station in a time block or 101% of the Installed Capacity over a day shall be the same as the charges for the Unscheduled Interchange corresponding to grid frequency interval of 'below 49.82 Hz and not below 49.80 Hz' as specified in Schedule "A" of these Regulations.

(6) The Charge for Unscheduled Interchange may be reviewed and re-notified every six months by the Commission and Schedule "A" of these regulations shall be re-notified accordingly.

(7) The infirm power injected into the grid by a generating unit of a generating station ["or independent power producer"] during the testing, prior to COD of the unit shall be paid at UI rates for power injected into the grid, consequent to testing, for a period not exceeding 6 months or the extended time allowed by the Commission in the Central Electricity Regulatory Commission (Grant of Connectivity, Long-term Access and Medium-term Open Access and related matters) Regulations, 2009, as amended from time to time,

subject to ceiling of Cap rates corresponding to the main fuel used for such generation as specified in the Schedule "A" of this Regulation.

(8) Charges for Inter-regional UI Exchanges between the two asynchronous Regions shall be computed by the respective Regional Power Committees, based on UI rates as per the frequency of the respective Region. The amount to be settled for the inter-regional exchanges shall -be average of the UI charges computed for the two regions by way of such inter-change. "

3. Amendment of Regulation 7 of the Principal Regulations.- Regulation 7 of the Principal Regulations shall be substituted as under, namely.-

"7. Limits on UI volume and consequences of crossing the limits.-

(1) The over-drawal of electricity by any beneficiary or a buyer during a time block shall not exceed 12% of its scheduled drawal or 150 MW, whichever is lower, when frequency is 'below 49.80' Hz and 3% on a daily aggregate basis for all the time blocks when the frequency is 'below 49.80 Hz'.

Explanation: The limits specified in this clause shall apply to the sum total of over-drawal by all the intra-State entities in the State including the distribution companies and other intra-State buyers, and shall be applicable at the inter-State boundary of the respective State.

(2) The under-injection of electricity by a generating station or a seller during a time-block shall not exceed 12% of the scheduled injection of such generating station or seller when frequency is 'below 49.80 Hz' and 3% on daily aggregate basis for all the time

blocks when the frequency is 'below 49.80 Hz'.

(3) In addition to Unscheduled Interchange Charges as stipulated under Regulation 5 of these regulations, Additional Unscheduled Interchange Charge shall be applicable for over-drawal or under-injection of electricity for each time block when grid frequency is 'below 49.7 Hz' at the rates specified in the schedule A of these regulations in accordance with the methodology specified in clause (3a) of this regulation:

Provided further that Additional Unscheduled Interchange Charge for under-injection of electricity, during the time-block when grid frequency is 'below 49.7 Hz', by the generating stations using coal or lignite or gas supplied under Administered Price Mechanism (APM) as the fuel shall be at the rates specified in the schedule A of these regulations in accordance with the methodology specified in clause (3b) of this regulation.

Explanation: Additional Unscheduled Interchange Charges shall not be applicable for net over drawls by a region as a whole from other regions when grid frequency is 'below 49.7 Hz'.

(4) The additional Unscheduled Interchange charge for over-drawals and under-injection of electricity for each time block when grid frequency is below 49.7 Hz shall be as specified by the Commission as a percentage of the charges for the Unscheduled Interchange in grid frequency 'below 49.5 Hz' with due consideration to the behavior of the buyer and beneficiaries and sellers and the generating stations towards grid discipline:

Provided that the Commission may specify different rates for additional Unscheduled Interchange charges for over drawls and

722 GI/12—5

under injections and for different ranges of frequencies 'below 49.7 Hz'.

(5) The additional Unscheduled Interchange charge for under-injection of electricity during the time-block when grid frequency is 'below 49.7 Hz', by the generating stations using coal or lignite or gas supplied under Administered Price Mechanism (APM) as the fuel shall be as specified by the Commission as a percentage of the Cap Rate, with due consideration to the behavior of the generating stations towards grid discipline:

Provided that the Commission may specify different rates for additional Unscheduled Interchange charges for under injections at different ranges of frequencies 'below 49.7 Hz'.

(6) Payment of Unscheduled Interchange Charges under Regulation 5 and the Additional Unscheduled Interchange Charge under Regulation 7(3) above, shall be levied without prejudice to any action that may be considered appropriate by the Commission under Section 142 of the Act for contravention of the limits of over-drawal or under-generation as specified in these regulations, for each time block when frequency is 'below 49.80 Hz'.

(7) The Commission may, if considered necessary, prescribe from time to time Additional Unscheduled Interchange Charge for over-drawal or under-injection of electricity during each time-block when grid frequency is 'below 49.80 Hz' and up to 49.7 Hz.

(8) The charges for over-drawal/under-injection and under-

drawal/over-injection of electricity shall be computed by the respective Regional Power Committee in accordance with the methodology used for preparation of 'Regional Energy Accounts'.

(9) The Regional Load Despatch Centre shall prepare and publish on its website the records, on monthly basis, of the UI Accounts, specifying the quantum of over-drawal/ under-generation and corresponding amount of UI charges paid for each beneficiary or buyer and received for each generating station or seller for the time-blocks when grid frequency was below 49.7 Hz and between 49.80-49.7 Hz separately."

RAJIV BANSAL, Secy.

[ADVT. III/4/150/11/Exty.]

Note : The Principal Regulations were published in the Gazette of India Extraordinary Part III Section 4 at Ser No.43 on 3rd March 2009 and the first amendment to the Principal Regulations were published in the Gazette of India Extraordinary Part III Section 4 at Ser No. 114 on 28th April 2010.

SCHEDULE "A"

1. Unscheduled Interchange (UI) Charges:

In terms of clause (1) of Regulation 5, the charges for Unscheduled Interchanges for all the time-blocks payable for over-drawal by the buyer or the beneficiary and under-injection by the generating station or the seller and receivable for under-drawal by the buyer or the beneficiary and over-injection by the generating station or the seller shall be worked out on the average frequency of the time-block at the rates given hereunder:-

Average Frequency of the time block(Hz)		UI Rate
Below	Not Below	(Paise per kWh)
	50.20	0.00
50.20	50.18	16.50
50.18	50.16	33.00
50.16	50.14	49.50
50.14	50.12	66.00
50.12	50.10	82.50
50.10	50.08	99.00
50.08	50.06	115.50
50.06	50.04	132.00
50.04	50.02	148.50
50.02	50.00	165.00
50.00	49.98	193.50
49.98	49.96	222.00
49.96	49.94	250.50
49.94	49.92	279.00
49.92	49.90	307.50
49.90	49.88	336.00
49.88	49.86	364.50
49.86	49.84	393.00
49.84	49.82	421.50
49.82	49.80	450.00
49.80	49.78	478.13
49.78	49.76	506.25
49.76	49.74	534.38
49.74	49.72	562.50
49.72	49.70	590.63
49.70	49.68	618.75
49.68	49.66	646.88
49.66	49.64	675.00
49.64	49.62	703.13
49.62	49.60	731.25
49.60	49.58	759.38
49.58	49.56	787.50
49.56	49.54	815.63

49.54	49.52	843.75
49.52	49.50	871.88
49.50		900.00
(Each 0.02 Hz step is equivalent to 16.50 Paise/kWh in the 50.2-50.00 Hz frequency range, 28.50 Paise/kWh in 50 Hz to 49.8 Hz and 28.12 Paise/kwh in frequency in the below 49.8 Hz to 49.5 Hz range.)		

2. Unscheduled Interchange Cap Rates

(a) In terms of clauses (1) and (3) of Regulations 5, the UI Cap Rate shall be 421.50 Paise/kWh for all generating stations using coal or lignite or gas supplied under Administered Price Mechanism (APM) as the fuel, in case when actual generation is higher or lower than the scheduled generation.

(b) In terms of clauses (1) and (6) of Regulations 5, the UI Cap Rate shall be 450.00 Paise/kWh for the under drawls by the buyer or the beneficiaries in excess of 10% of the schedule or 250 MW whichever is less.

(c) In terms of clauses (1) and (7) of Regulations 5, the UI Cap Rate shall be 450.00 Paise/kWh for the injection by the seller in excess of 120% of the schedule subject to a limit of ex-bus generation corresponding to 105% of the Installed Capacity of the station in a time block and 101% of the Installed Capacity over a day.

(d) In terms of clauses (1) of Regulation 5, the UI Cap Rate shall be 165.00 Paise/kWh for the injection by a generating station other than the hydro generating station in excess of 105% of the Declared Capacity of the station in a time block or in excess of 101% of the average Declared Capacity over a day.

(e) In terms of clauses (1) of Regulation 5, the UI Cap Rate shall be 165.00 Paise/kWh for the injection by the seller in excess of ex-bus generation corresponding to 105% of the Installed Capacity of the station in a time block or 101% of the Installed Capacity over a day shall not exceed the Cap Rate as specified in the Schedule 'A' of these regulations.

(f) In terms of clauses (7) of Regulation 5, the cap rates for the infirm power injected into the grid by a unit of a generating station during the testing/commissioning prior to COD of unit shall be as follows corresponding to the fuel used for the generation:

Domestic coal/ Lignite/Hydro (₹ / kWh sent out)	:	1.65
APM gas as fuel (₹/ kWh sent out)	:	2.60
Imported Coal/RLNG (₹/ kWh sent out)	:	3.30
Liquid Fuel (₹ / kWh sent out)	:	9.00

3. Additional Unscheduled Interchange Charges

(a) In terms of clause (4) of Regulation 7 , the Additional Unscheduled Interchange Charge for over-drawal of electricity for each time-block when grid frequency is "below 49.7 Hz" and up to "Not below 49.5 Hz" shall be equivalent to 20% of the Unscheduled Interchange Charge corresponding to grid frequency of "below 49.5

Hz". The Additional Unscheduled Interchange Charge for under-injection of electricity for each time-block when grid frequency is "below 49.7 Hz" and up to "Not below 49.5 Hz" shall be equivalent to 20% of the Unscheduled Interchange Charge of the corresponding grid frequency of "below 49.5 Hz":

Provided that the Additional Unscheduled Interchange Charge for over-drawal of electricity for each time-block when grid frequency is below 49.5 Hz and up to 49.2 Hz shall be equivalent to 40% of the Unscheduled Interchange Charge 900.0 Paise/kWh corresponding to the grid frequency of below 49.5 Hz. The Additional Unscheduled Interchange Charge for under-injection of electricity for each time-block when grid frequency is below 49.5 Hz and up to 49.2 Hz shall be equivalent to 40% of the Unscheduled Interchange Charge of 900.0 Paise/kWh corresponding to the grid frequency of below 49.5 Hz:

Provided that the Additional Unscheduled Interchange Charge for over-drawal of electricity for each time-block when grid frequency is below 49.2 Hz shall be equivalent to 100% of the Unscheduled Interchange Charge 900.0 Paise/kWh corresponding to the grid frequency of below 49.5 Hz. The Additional Unscheduled Interchange Charge for under-injection of electricity for each time-block when grid frequency is below 49.2 Hz shall be equivalent to 100% of the Unscheduled Interchange Charge of 900.0 Paise/kWh corresponding to the grid frequency of below 49.5 Hz.

(b) In terms of clause (4) of Regulation 7, the Additional Unscheduled Interchange Charge for under-injection of electricity during the

time-block when grid frequency is below 49.7 Hz and up to 49.5 Hz for the generating stations using coal or lignite or gas supplied under Administered Price Mechanism (APM) as the fuel shall be equivalent to 20% of the UI Cap Rate of 421.50 Paise/kWh:

Provided that the Additional Unscheduled Interchange Charge for under-injection of electricity during the time-block when grid frequency is below 49.5 Hz for the generating stations using coal or lignite or gas supplied under Administered Price Mechanism (APM) as the fuel shall be equivalent to 40% of the UI Cap Rate of 421.50 Paise/kWh.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.